विषय :—राज्य कर्मचारियों का विदेश में ट्रेनिंग; फैलोशिप या किसी अन्य कोर्सों के लिए जाना ।

क्या वित्तायुक्त हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उपर्युक्त विषय पर ध्यान देंगे ?

2. समय-समय पर राज्य सरकार के अधिकारी सरकारी खर्चों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेशों में भेजे जाते हैं ताकि वे विशेष ट्रेनिंग प्राप्त करके लोक हित कार्यों में विशेष योगदान दे सकें। यह अनुभव किया गया है कि जो अधिकारी जिस विषय में ट्रेनिंग लेता है उसे कई दफा वापसी पर प्रशासकीय कारणोंवश सम्बन्धित विभाग में नियुक्त नहीं किया जाता जिसके फलस्वरूप उस अधिकारी के अनुभव से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता । अतः यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अधिकारी द्वारा जो ट्रेनिंग प्राप्त की जाती है वह उस ट्रेनिंग पर विस्तार रूप से लिखित में एक नोट सरकार, सम्बन्धित विभाग, एवं राजनैतिक शाखा को प्रस्तुत करे, जिससे सरकार तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सोच विचार उपरान्त जनहित कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सके । जो अधिकारी अब तक विदेश में या भारत में सरकारी खर्चे पर विशेष ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनसे ऐसा ब्यौरा शीघ्र उपलब्ध कर लिया जाए और जो अधिकारी अब ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं या भविष्य में ऐसा करेंगे उन्हें भी ऐसा करने का आदेश पहले से ही दिया जाए ।

3. आप से अनुरोध है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाये। आप से यह भी अनुरोध है कि आप यह हिदायतें अपने अधीन कार्यालयों (including Corpn. autonomous Organisation etc.), काम करने वाले अधिकारियों के ध्यान में भी ला दें और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन हिदायतो का दृढ़ता से पालन किया जाता है ।

हस्ता/

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

सेवा में

वित्तायुक्त हरियाणा सरकार तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्र0 1621-पोल(3)-76/ दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च 1976

पृ0 क्रमांक 1621-पोल(3)-76/9185 दिनांक चण्डीगढ़ 8 मार्च, 1976

एक प्रति सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

हस्तः

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाए,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।